राजस्व अपील संख्या : 55/2023
उनवान : जानाराम उर्फ जवानमल व अन्य बनाम नारायणसिंह व अन्य अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर,बाली जिला पाली (राज.)

पीठासीन अधिकारी : शैलेन्द्र सिंह आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 55/2023
जी.सी.एम.एस. नम्बर : 2023/44

प्रार्थीगण :–

1. स्व.जानाराम उर्फ जवानमल पुत्र जीवाराम के कायम मुकाम वारिसान :–
   - 1.1 पृथ्वीराज पुत्र जानाराम उर्फ जवानमल
   - 1.2 किशोरकुमार पुत्र जानाराम उर्फ जवानमल
   - 1.3 कुमारपाल पुत्र जानाराम उर्फ जवानमल
   - 1.4 पवनीदेवी पत्नि जानाराम उर्फ जवानमल
2. कन्हैयालाल पुत्र जीवाराम, तमाम जाति घांची, निवासीगण, बांकली, तहसील सुमेरपुर जिला पाली राज.

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. नारायणसिंह पुत्र छोगसिंह जाति राजपुत निवासी कवला, तहसील आहोर, जिला जालौर
2. पटवारी हल्का, बांकली, तहसील सुमेरपुर
3. तहसीलदार (भू.अ.) सुमेरपुर तहसील सुमेरपुर, जिला पाली राज.

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 बाबत् विरुद्ध नामान्तरकरण संख्या 2662 दिनांक 14.06.2023 जो तहसीलदार (भू.अ.) सुमेरपुर द्वारा पारित किया गया।

–:निर्णय:–

दिनांकः 03.03.2025

अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता ने एक अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत पेश कर मौजा बांकली तहसील सुमेरपुर के नामान्तरकरण संख्या 2662 दिनांक 14.06.2023 जो तहसीलदार भू.अ. सुमेरपुर द्वारा पारित किया गया के विरुद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेण्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया।

प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि मौजा बांकली तहसील सुमेरपुर में स्थित कृषि भूमि हाल खसरा नम्बर 490, 491, 492, 493, 501 कुल रकबा 5.20 हैक्टर भूमि अपीलाण्ट के पैतृक पुश्तैनी खातेदारी एवं संयुक्त कब्जा काश्त की आयी हुई स्थित है। जिस कृषि भूमि बाबत एक वाद अपीलाण्ट द्वारा अपने सहखातेदारो के विरुद्ध न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुमेरपुर में स्थाई निषेधाज्ञा का तारीख 23.07.2020 को पेश किया गया हैं। जिसके अपीलाण्ट्स द्वारा उपखण्ड अधिकारी सुमेरपुर के न्यायालय में उपरोक्त खसरान के बंटवाड़ा नही होने तक संयुक्त परिवार की उपरोक्त अविभाजित भूमि का सहखातेदार विक्रय हस्तान्तरण नही करने बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना–पत्र तारीख 23.07.2020 को पेश किया गया था। जिसके राजस्व विविध नम्बर 41/2020 है। उक्त स्थगन प्रार्थना पत्र में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुमेरपुर ने तारीख 22.10.2020 को स्थगन आदेश जारी करते हुए अप्रार्थी को पाबन्द किया की

अति. जिला कलक्टर

**राजस्व अपील संख्या : 55/2023**

**उनवान : जानाराम उर्फ जवानमल व अन्य बनाम नारायणसिंह व अन्य अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956**

वह किसी विशेष खसरे का बैचान नही करें जो स्थगन आदेश आज दिन तक किसी भी न्यायालय द्वारा निरस्त नही किया गया है न ही उपखण्ड अधिकारी द्वारा मैरीट पर बहस सुनकर अंतिम निस्तारण किया गया है। उस स्थगन आदेश की पत्रावली में बहस तारीख 06.04.2023 को सुनी गई और पत्रावली दिनांक 11.04.2023 को आदेश हेतु मुकर्रर की गयी। तारीख 11.04.2023 को राज्य सरकार द्वारा महात्मा ज्योति बा फुले जयन्ति के उपलक्ष्य में सार्वजनिक अवकाश घोषित होने से पत्रावली दिनांक 12.04.2023 को न्यायालय में आयी। तारीख 12.04.2023 को पीठासीन अधिकारी की व्यस्तता से आदेश नही लिखा जाकर आगामी तारीख 03.05.2023 को मुकर्रर की गई। तारीख 24.04.2023 के बाद राज्य सरकार द्वारा मंहगाई राहत शिविर एवं प्रशासन गांवो के संग अभियान के कारण केम्प शुरु होने से एवं राज्य कर्मचारियों की हड़ताल होने से पत्रावली तारीख 03.05.2023 को न्यायालय में नही आई। उपरोक्त स्थगन आदेश का नोट जमाबंदी में इस प्रकार लिखा गया है कि दिनांक 09.11.2022 खसरा नम्बर 490, 491, 492, 493, 501 सभी काश्तकारों पर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुमेरपुर के मुकदमा नम्बर 41/2020 से सम्पूर्ण खाते पर स्थगन नोट लगा हुआ हैं। ऑनलाईन जमाबंदी में 10.06.2023 तक उक्त नोट का अंकन किया हुआ था उसके बावजुद भी रेस्पोडेण्ट संख्या एक ने उपपंजीयक सुमेरपुर से मिलावट कर अपने पक्ष में विक्रय विलेख करवाने हेतु दिनांक 09.06.2023 को विक्रय विलेख करवाने हेतु दिनांक 09.06.2023 को दस्तावेज पेश किया। उक्त दस्तावेज की अपीलाण्ट को जानकारी होने पर एतराज किया परन्तु उपपंजीयक ने दिनांक 12.06.2023 को राजस्थान पंजीयन नियम 1955 का नियम 39 के तहत नोट लगाकर विक्रय विलेख का पंजीयन कर दिया।

अपीलाण्ट संख्या 01 स्वर्गीय जानाराम उर्फ जवानमल को इसकी जानकारी होने पर एवं उपखण्ड अधिकारी बाली सुमेरपुर द्वारा पिछली तारीख की आदेशिका में स्थगन आदेश को दिनांक 09.02.2023 के बाद आगे नहीं बढाया जाने के आदेशिका की जानकारी होने पर अपीलाण्ट द्वारा राजस्व अपील अधिकारी पाली के समक्ष अपील पेश की ओर उसमे तारीख 13.06.2023 को अपने पक्ष में स्थगन आदेश प्राप्त किया। जिसमें माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी पाली ने मौजा बांकली के खसरा नम्बर 490, 491, 492, 493, 501 पर मौके व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश पारित किया। इस आदेश की जानकारी अपीलाण्ट संख्या एक द्वारा पटवारी हल्का बांकली एवं तहसीलदार सुमेरपुर को तारीख 13.06.2023 को ही लिखित में दे दी थी बावजुद इसके रेस्पोडेण्ट संख्या एक ने मिलावट कर दिनांक 14.06.2023 को नामान्तकरण जैर अपील पटवारी हल्का, बांकली, से भरवाया एवं उसी दिन भू—अभिलेख निरीक्षक से जांच करवायी एवं उसी दिन तहसीलदार सुमेरपुर से पास करवा दिया, जबकि सर्वप्रथम उस नामान्तरकरण को स्वीकृत करने का क्षेत्राधिकार राज्य सरकार द्वारा संबंधित ग्राम पंचायत को दिए गए है। इस प्रकार ग्राम पंचायत के समक्ष नामान्तरकरण को पेश ही नही किया गया रेस्पोडेण्ट ने मिलकर बिना क्षेत्राधिकार के नामान्तरकरण पारित कर दिया। इस प्रकार तमाम रेस्पोडेण्टस ने एक षडयंत्र के तहत नामान्तरकरण जैर अपील भरकर स्वीकृत किया गया। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपीलाण्ट की अपील स्वीकार फरमायी जाकर नामान्तरकरण संख्या 2662 दिनांक 14.06.2023 को निरस्त फरमाया जावें।

हस्तगत अपील का रेस्पोडेण्ट संख्या 01 की ओर से लिखित जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि :—

1. जैर अपील नामान्तरकरण विधि सम्मत होने से सही है।
2. जैर अपील विक्रय विलेख दिनांक 12.06.2023 के समय किसी भी न्यायालय द्वारा उपरोक्त कृषि भूमि पर स्थगन नहीं रहा है तथा स्वयं अपीलाण्ट द्वारा कथन किया गया है कि दिनांक 13.06.2023 को राजस्व अपील अधिकारी द्वारा स्थगन प्राप्त होने

अति. जिला कलक्टर
बाली (पाली)

P.T.O.

**राजस्व अपील संख्या : 55/2023**
**उनवान : जानाराम उर्फ जवानमल व अन्य बनाम नारायणसिंह व अन्य अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956**

से पहले उक्त दस्तावेज नियमानुसार पंजीबद्ध हो जाने से एवं उक्त पंजीयन दस्तावेज आज दिन तक निरस्त नहीं होने से नामान्तरकरण विधि सम्मत है।

3. यह कि निर्विवादित नामान्तरकरण को ग्राम पंचायत में पेश किया जाना आवश्यक नहीं है तथा उपरोक्त पंजीबद्ध विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरकरण हेतु रेस्पो. संख्या दो एवं तीन ने विधि सम्मत कार्यवाही कर नामान्तरकरण स्वीकृत किया है।
4. यह कि उपरोक्त नामान्तरकरण पंजीबद्ध विक्रय पत्र दिनांक 12.06.2023 के आधार पर रेस्पोडेण्ट संख्या एक के पक्ष में दर्ज किया गया एवं दिनांक 12.06.2023 को किसी भी न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश जारी नहीं था, इस कारण हस्तगत अपील काबिल खारिज है।
5. यह कि, जैर अपील कृषि भूमि के विभाजन का वाद पक्षकारान् के मध्य चल रहा है, लेकिन उपरोक्त वाद में पक्षकारान् द्वारा अपने हिस्से का बेचान किया गया है तथा विशेष खसरा एवं विशेष कृषि भूमि को चिह्नित करते हुए बेचाननामा निष्पादित नहीं किया गया है।

अतः सारांक्षतः रेस्पो. संख्या एक सद्भाविक क्रेता होने एवं उपरोक्त विक्रय विलेख दिनांक 12.06.2023 को विशेष खसरा का नहीं होकर हिस्से का बेचाननामा होने एवं उक्त बेचाननामा किसी न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं किये जाने से अपील अपीलाण्ट मय खर्चा खारिज फरमावें।

प्रस्तुत अपील में अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया जो प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया गया। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अपीलाण्ट की ओर से काबिल अधिवक्ता ने दौराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि सर्वप्रथम तो न्यायालय उपखण्ड अधिकारी द्वारा प्रकरण संख्या 41/2020 में दिनांक 22.10.2020 को प्रदत अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को किसी भी उत्तरोतर आदेशिका में निरस्त नहीं किया गया था। आदेशिका दिनांक 12.04.2023 में पीठासीन अधिकारी ने अवैधानिक ढंग से यह आदेश दिया कि अप्रार्थी अधिवक्ता की मांग पर पूर्व में जारी आगामी तारीख पेशी तक स्थगन के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि उक्त आदेश दिनांक 09.02.2023 के बाद आगे नहीं बढ़ाया गया है। इस प्रकार पीठासीन अधिकारी/उपखण्ड अधिकारी द्वारा मनमाने ढंग से पूर्व में जारी अन्तरिम स्थगन आदेश को समाप्त किया गया, जिसके उपरांत जैर आलोच्य पंजीकृत विक्रय दस्तावेज दिनांक 09.06.2023 को प्रस्तुत एवं दिनांक 12.06.2023 को पंजीकृत किया गया। इससे व्यथित होकर न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी में अपील की गई, जिसमें अपीलाण्ट के पक्ष में दिनांक 13.06.2023 को स्थगन आदेश जारी हुए। किन्तु उक्त स्थगन आदेश का उल्लंघन करते हुए पूर्वोक्त पंजीकृत विक्रय दस्तावेज दिनांक 12.06.2023 के आधार पर जैर आलोच्य नामान्तरकरण संख्या 2662 दिनांक 14.06.2023 को स्वीकृत कर दिया गया जो कि न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी के स्थगन आदेश दिनांक 13.06.2023 के उल्लंघन में स्वीकार किये जाने के कारण काबिल खारिज है।

काबिल अधिवक्ता अपीलाण्ट ने यह भी जाहिर किया कि पंजीकृत दस्तावेजों के आधार पर हुए हस्तान्तरण से संबंधित नामान्तरकरण को स्वीकार करने का अधिकार प्रथम तीस दिनों तक ग्राम पंचायत को है, जबकि जैर आलोच्य नामान्तरकरण ग्राम पंचायत के समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत करने के स्थान पर तहसीलदार द्वारा अवैधानिक ढंग से स्वीकृत किया गया, जिस कारण उक्त नामान्तरकरण काबिल खारिज है।

काबिल अधिवक्ता बजतरफ रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने बहस के दौरान जवाबपत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी द्वारा अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 22.10.2020 में किसी विशेष खसरे के बेचान को निषिद्ध किया था, किन्तु जैर

अति. जिला कलक्टर
पाली (पाली)

**राजस्व अपील संख्या : 55/2023**
**उनवान : जानाराम उर्फ जवानमल व अन्य बनाम नारायणसिंह व अन्य अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956**

आलोच्य पंजीकृत विक्रय दस्तावेज दिनांक 12.06.2023 में किसी विशेष खसरे का बेचान नहीं किया गया अपितु हिस्से का ही बेचान किया गया।

अधिवक्ता अप्रार्थीपक्ष ने बहस के दौरान यह भी जाहिर किया कि अधिवक्ता अपीलाण्ट का यह तर्क आधारहीन है कि ग्राम पंचायत के क्षेत्राधिकार का हनन करते हुए तहसीलदार द्वारा जैर आलोच्य नामान्तरकरण स्वीकार किया गया। राजस्व विभाग राजस्थान सरकार द्वारा प्रशासन गांवो के संग अभियान 2023 के दौरान अधिसूचना दिनांक 17.04.2023 के द्वारा नामान्तरकरण को निर्णीत करने की ग्राम पंचायत की शक्तिया दिनांक 30.06.2023 तक तहसीलदार/नायब तहसीलदार को प्रदान की थी। उक्त अधिसूचना के अनुक्रम में ही तहसीलदार द्वारा जैर अपील नामान्तरकरण निर्णीत किया गया।

अधिवक्तागण की बहस को सुना गया तथा पत्रावली एवं सलंग्न दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत नामान्तरकरण अपील में निम्नलिखित तीन बिन्दु निर्धारण योग्य है :–

1. क्या न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुमेरपुर में प्रकरण संख्या 41/2020 में प्रदत अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 22.10.2020 को तत्कालीन पीठासीन अधिकारी द्वारा अवैधानिक ढंग से आदेश दिनांक 12.04.2023 के द्वारा व्यपगत/समाप्त कर दिया गया?
2. क्या न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्थगन आदेश दिनांक 13.06.2023 के उल्लंघन में जैर अपील नामान्तरकरण स्वीकार किया गया?
3. क्या नामान्तरकरण निर्णीत करने की ग्राम पंचायत के क्षेत्राधिकार (तीस दिन की अवधि) का उल्लंघन करते हुए तहसीलदार द्वारा जैर अपील नामान्तरकरण निर्णीत किया गया?

उपरोक्त तीनों बिन्दुओं की विस्तृत विवेचना निम्नानुसार हैः–

1. अपीलाण्ट के कथनानुसार न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुमेरपुर के प्रकरण संख्या 41/2020 में दिनांक 22.10.2020 को प्रदत अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा को किसी आदेशिका में निरस्त नहीं किया गया था, लेकिन तत्कालीन पीठासीन अधिकारी द्वारा आदेशिका दिनांक 12.04.2023 से मनमाने ढंग से टिप्पणी एवं अवैधानिक व्याख्या की गई कि उक्त स्थगन आदेश की अवधि दिनांक 09.02.2023 के बाद आगे नहीं बढाई गई। इस अवैधानिक टिप्पणी की आड़ में जैर आलोच्य पंजीकृत विक्रय दस्तावेज के द्वारा भूमि का हस्तान्तरण कर दिया गया। इस संबंध में रेस्पोडेण्ट संख्या एक के द्वारा जाहिर किया गया कि पूर्वोक्त स्थगन आदेश दिनांक 22.10.2022 के द्वारा किसी विशेष खसरे के बेचान को निषिद्ध किया गया था, जबकि पंजीकृत विक्रय दस्तावेज दिनांक 12.06.2023 के द्वारा किसी विशेष खसरे का नहीं अपितु हिस्से का बेचान किया गया था। इस संबंध में न्यायालय हाजा का यह विनम्र अभिमत है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 223 एवं 225 के प्रावधानान्तर्गत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी के किसी निर्णय की वैधानिकता/अवैधानिकता तय करने का क्षेत्राधिकार न्यायालय हाजा को नहीं अपुित न्यायालय राजस्वअपील अधिकारी को है। ऐसी स्थिति में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुमेरपुर द्वारा प्रकरण संख्या 41/2020 में प्रदत्त आदेश दिनांक 12.04.2023 के संबंध में इस न्यायालय द्वारा कोई टिप्पणी करना न तो वैधानिक रुप से अपेक्षित है और न ही न्यायोचित।
2. द्वितीयतः , अपीलार्थी का यह तर्क है कि जैर अपील नामान्तरकरण संख्या 2662 दिनांक 14.06.2023 न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी पाली द्वारा वादग्रस्त आराजी के संबंध में प्रदत्त मौके एवं राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति के आदेश दिनांक 13.06.

अति. जिला कलक्टर
पाली (पाली)

2023 के उल्लंघन में स्वीकार किया गया। इस संबंध में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी द्वारा प्रकरण संख्या 34/2023 में आदेश दिनांक 13.06.2023 के द्वारा जैर अपील आराजी के संबंध में मौके एवं राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए थे। उक्त स्थगन आदेश दिनांक 13.06.2023 की प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक 15.06.2023 को, अर्थात् जैर आलोच्य नामान्तरकरण स्वीकृति के एक दिन पश्चात् जारी की गई। यद्यपि अपीलार्थी द्वारा अपील मीमों के साथ तहसीलदार सुमेरपुर एवं पटवारी हल्का बांकली से संबंधित दो प्रार्थनापत्र सलंग्न किए हैं, जिसमें न्यायालय आर.ए.ए. के उक्त स्थगन आदेश दिनांक 13.06.2023 के प्रभाव में होने तथा पंजीकृत विक्रय दस्तावेज दिनांक 12.06.2023 की अनुपालना में नामान्तरकरण स्वीकार नहीं करने का निवेदन किया गया है। किन्तु, अपीलार्थी द्वारा ऐसी कोई पावती रसीद संलग्न नहीं की है, जिससे यह स्पष्ट रुप से प्रमाणित हो सके कि तहसीलदार एवं पटवारी, हल्का बांकली द्वारा उक्त प्रतिवेदन प्राप्त कर लिया गया था। अतः न्यायालय हाजा का यह विनम्र अभिमत है कि अपीलाण्ट ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत करने में असफल रहे है, जो उनके इस तर्क को सिद्ध कर सके कि तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा न्यायालय आर.ए.ए. के स्थगन आदेश दिनांक 13.06.2023 की जानकारी दिनांक 14.06.2023 को होने के उपरान्त भी उनके द्वारा जैर आलोच्य नामान्तरकरण संख्या 2662 स्वीकार कर लिया गया।

3. तृतीयतः, अपीलार्थी ने जैर आलोच्य नामान्तरकरण संख्या 2662 दिनांक 14.06.2023 को इस आधार पर भी चुनौति दी है कि पंजीकृत विक्रय दस्तावेजों के अनुक्रम में दर्ज नामान्तरकरण को तीस दिन की अवधि तक ग्राम पंचायत को निर्णीत करने का प्रावधान है। किन्तु, तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा ग्राम पंचायत के क्षेत्राधिकार का उल्लंघन करते हुए निर्धारित समयावधि की समाप्ति से पूर्व ही जैर आलोच्य नामान्तरकरण को निर्णीत कर दिया गया। इस संबंध में अधिवक्ता बजतरफ रेस्पोडेण्ट संख्या एक द्वारा प्रस्तुत राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांकः प.3(13)राज.6/2023/10 दिनांक 17.04.2023 का अवलोकन प्रासंगिक है जिसके द्वारा प्रशासन गांवो के संग अभियान–2023 के दौरान नामान्तरकरण निर्णीत करने की ग्राम पंचायत की शक्तियॉ दिनांक 30.06.2023 तक तहसीलदार/नायब तहसीलदार को प्रदान की गई थी। उक्त अधिसूचना के आलोक में तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा दिनांक 14.06.2023 को नामान्तरकरण संख्या 2662 स्वीकार कर क्षेत्राधिकार संबंधि कोई त्रुटि कारित नहीं की गई है।

**अतः उपरोक्त वजुहातों के आधार पर तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 2662 दिनांक 14.06.2023 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप वांछनीय नहीं है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत हस्तगत नामान्तरकरण अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकॉर्ड लौटाया जाए। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।**

निर्णय आज दिनांक 03.03.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे–इज़लास सुनाया गया।

(शैलेन्द्र सिंह)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला पाली
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
बाली